राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एकल पीठ सिविल विविध अपील संख्या : 2433/2016

HDFC ERGO GIC LTD
Versus
Sanwar Ram and Ors.

20.2.2017

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री जगदीश व्यास,

प्रत्यर्थी संख्या 1 केवियटकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री एस के सांखला।

अधीनस्थ न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मेडता द्वारा मोटर दुर्घटना दावा संख्या 39/2013 (78/2010) में पारित निर्णय एवं पंचाट दिनांक 22.7.2016 के विरूद्ध अपीलार्थी की ओर से यह अपील पेश की गई है।

अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपील विचारार्थ ग्रहण की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जावें।

आज प्रत्यर्थी संख्या 1 केवियटकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री एस के सांखला उपस्थित हैं, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं। अतः प्रत्यर्थी संख्या 1 की तामील पूर्ण मानी जाती हैं।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के क्रम में दो सप्ताह में पी एफ नोटिस पेश करें, जो पेश किए जाने पर चार सप्ताह में वापसी योग्य जारी किए जावें।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी के द्वारा अपील में उठाये गये तर्को व मौखिक रूप से की गई बहस की रोशनी में प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के ऐतराज प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं पंचाट का कियान्वयन अपील के अंतिम निस्तारण तक निम्न शर्त के अधीन स्थगित किया जाता हैः—

1. अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के तहत दिलाई गई सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज की 70 प्रतिशत राशि इस आदेश से आगामी एक माह की अवधि में अधीनस्थ न्यायालय में जमा कराई जावेगी,

2. अपीलार्थी द्वारा उक्त जमा कराई जाने वाली राशि के पूर्व यदि अपीलार्थी द्वारा कोई राशि प्रत्यर्थी संख्या 1 को अदा की गई तो वह राशि समायोजित मानी जावेगी,

3. अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त राशि जमा कराये जाने पर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इस आदेश की रोशनी में राशि प्राप्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाशुदा राशि उक्त प्रत्यर्थी को इन तथ्यों की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर अदा कर दी जाये कि य

दि अपीलार्थी इस अपील में सफल होता है तो उस स्थिति में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा इस आदेश के अधीन प्राप्त की गई राशि पुनः अपीलार्थी को 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर के साथ अपील के निर्णय के एक माह की अवधि में लौटाने के लिए बाध्य व तैयार रहेगा। यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 एक माह की अवधि में राशि पुनः अपीलार्थी को अदा करने में असफल रहता है तो उस स्थिति में अपीलार्थी को इस आदेश के अधीन ही प्रत्यर्थी संख्या 1 से अदा की गई राशि जरिये इस आदेश इजराय कर वसूल करने का अधिकार होगा तथा इस हेतु अलग से कोई कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहेगी।

उपरोक्तानुसार स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

जे एस पंवार/67